प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

आदेश सुरक्षित किया गया :03–03–2025

आदेश पारित किया गयाः11–06–2025

रिट याचिका सेवा सं. 3968/2015

श्रीमती. सीमा यादव पति श्री निवासीशर यादव, आयु लगभग 27 वर्ष, जाति अहीर, व्यवसाय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, निवासी गांव श्यामनगर, खरखा कंडिका , तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़

2 – आयुक्त, सरगुजा प्रभाग अम्बिकापुर छत्तीसगढ़,

3 – कलेक्टर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

4 – जिला महिला तथा बाल विकास अधिकारी, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

5 – जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला तथा बाल विकास परियोजना, अंबिकापुर छत्तीसगढ़

6 – परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, प्रतापपुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

7 – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जनपद पंचायत, प्रतापपुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

8 – श्रीमती. परमेश्वरी, पिता मनोज राजवाडे, आयु लगभग 27 वर्ष, जाति राजवाडे, निवासी गांव श्यामनगर, खरखापाड़ा, तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता हेतु :	: श्री ए. के. शुक्ला, अधिवक्ता
उत्तरवादी/राज्य हेतु :	श्री देवेश जी. केला, पैनल अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 8 हेतु :	सुश्री चेतना शर्मा, अधिवक्ता श्री आर. एस. बघेल अधिवक्ता।

माननीय श्रीमती. न्यायमूर्ति रजनी दुबे, न्यायाधीश

सी ए वी आदेश

01. इस याचिका में चुनौती उत्तरवादी क्रमांक 2/आयुक्त, सरगुजा द्वारा प्रकरण क्रमांक पीएसीएन 29/बी–121/2014–15 में पारित दिनांक 29.9.2015 (अनुलग्नक पी/1) के आदेश को दी गई है, जिसमें याचिकाकर्ता की द्वितीय अपील को खारिज कर दिया गया था और कलेक्टर, सूरजपुर के दिनांक 17.12.2014 के आदेश की पुष्टि की गई थी, जिसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति को रद्द करने का निर्देश दिया गया था और उसके स्थान पर उत्तरवादी क्रमांक 8 को नियुक्त करने का आदेश दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

02. याचिकाकर्ता का प्रकरण, संक्षेप में, यह है कि उसने उत्तरवादी क्रमांक 8 सहित अन्य अभ्यर्थियों के साथ आंगनबाड़ी केंद्र, श्यामनगर, खरखापारा, तहसील–प्रतापपुर, जिला सूरजपुर के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए आवेदन किया था।काउंसलिंग और प्रशंसापत्रों के विधिवत सत्यापन के बाद, उसे दिनांक 22.12.2009 के आदेश (अनुलग्नक पी/8) द्वारा उक्त पद पर नियुक्त किया गया और तदनुसार उसने 23.12.2009 (अनुलग्नक पी/9) को पदभार ग्रहण किया।हालांकि,उत्तरवादी क्रमांक 8 ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति को चुनौती देते हुए कलेक्टर, सरगुजा के समक्ष अपील दायर की और इसे अनुलग्नक पी/10 के तहत अभियोजन के अभाव में 25.10.2010 को खारिज कर दिया गया था।प्रकरण के पुनर्स्थापना के लिए आवेदन दायर करने के बजाय, उत्तरवादी क्रमांक 8 ने कलेक्टर के समक्ष पुनः अपील दायर की, जिसमें लगभग 4 वर्ष पश्चात उत्तरवादी क्रमांक 4/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, सूरजपुर ने याचिकाकर्ता को सभी संबंधित अंकतालिकाएँ प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया और तदनुसार, याचिकाकर्ता ने अपने उत्तर के साथ अपनी अंकतालिकाएँ प्रस्तुत कीं।उत्तरवादी क्रमांक 8 द्वारा याचिकाकर्ता की कक्षा 10 वीं की अंकतालिकाओं की सत्यता और संस्थान की मान्यता के संबंध में लगाए गए आरोपों की उचित जाँच और सत्यापन के पश्चात, उत्तरवादी क्रमांक 4 ने कहा कि परिवाद पूरी तरह से निराधार और तुच्छ है। हालाँकि, इसके बावजूद कलेक्टर ने उत्तरवादी क्रमांक 8 की अपील स्वीकार कर ली और याचिकाकर्ता की नियुक्ति रद्द कर दी तथा याचिकाकर्ता के स्थान पर प्रतिवादी क्रमांक 8 की नियुक्ति के निर्देश दिए।इसके बाद, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 2/आयुक्त, सरगुजा संभाग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की, जिसमें कलेक्टर के आदेश के क्रियान्वयन पर याचिकाकर्ता के पक्ष में स्थगन आदेश दिया गया।

हालाँकि, दिनांक 29.9.2015 के आक्षेपित आदेश द्वारा आयुक्त ने अपील खारिज कर दी।अतः निम्नलिखित अनुतोष के लिए यह याचिका प्रस्तुत है:

" 10.1 यह माननीय न्यायालय दिनांक 29.09.2015 (अनुलग्नक पी–1) के आक्षेपित आदेश को रद्द करने हेतु परमादेश/उत्प्रेषण या इसी प्रकार की रिट जारी करने की कृपा करे, जिसमें याचिकाकर्ता को सभी परिणामी और मौद्रिक लाभों के साथ सेवा में पुनर्स्थापना करने का निर्देश दिया गया हो।

10.2 कि, कृपया याचिकाकर्ता के मामले से संबंधित संपूर्ण अभिलेखों को अवलोकन एवं न्यायनिर्णयन हेतु मंगाने हेतु आदेश/निर्देश जारी किया जाए।

10.3 कोई अन्य अनुतोष, जो उचित एवं उचित समझी जाए, याचिका की लागत के साथ प्रदान की जा सकती है।"

03. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि कलेक्टर और आयुक्त द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अवैधता, विकृतियों और विसंगतियों से भरे हुए हैं, इसलिए विधि की दृष्टि में मान्य योग्य नहीं हैं और निरस्त किए जाने योग्य हैं।निम्न प्राधिकारियों को विधि और प्रक्रिया की उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था।एक बार उत्तरवादी संख्या 8 द्वारा दायर अपील को कलेक्टर द्वारा अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया, तो कलेक्टर द्वारा आगामी अपील पर विचार नहीं किया जा सकता था, जो कि पूर्व न्यायिक निर्णय और कार्यवाही की बहुलता के सिद्धांतों द्वारा वर्जित थी।उत्तरवादी संख्या 8 को अपील के पुनर्स्थापना के लिए आवेदन दायर करना चाहिए था,लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और इस प्रकार, अभियोजन न करने की अपील को खारिज करने वाला कलेक्टर का दिनांक 25.10.2010 का आदेश चुनौती के अभाव में अंतिम हो गया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि जब उचित सत्यापन और सूक्ष्म जांच के बाद यह पाया गया कि मनीषा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, सिलफिली, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली से संबद्ध एक विधिवत मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान है, तो कलेक्टर और आयुक्त द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध विपरीत निष्कर्ष दर्ज करने का कोई अवसर नहीं था।इसके अलावा, उत्तरवादी संख्या 4/जिला महिला एवं बाल विकास, सूरजपुर की जांच पर अंतिम रिपोर्ट को उत्तरवादी संख्या 8 द्वारा किसी भी प्राधिकारी के समक्ष कभी चुनौती नहीं दी गई और इस प्रकार, यह अंतिम हो गई है।याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा कलेक्टर के समक्ष एक आपत्ति उठाई गई थी, लेकिन उक्त आपत्ति का निराकरण किए बिना, जिले के विभाजन के बाद, सूरजपुर जिले के नए कलेक्टर ने अंतिम आदेश पारित कर दिया।इसके अलावा, 30.4.2014 को याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किए बिना मामले की एकपक्षीय सुनवाई की गई। इसके अलावा, कलेक्टर ने गाँव के सरपंच के फर्जी प्रमाण पत्र का सहारा लिया कि मनीषा पब्लिक स्कूल संचालित नहीं है, जबकि स्कूल के प्राचार्य ने याचिकाकर्ता को प्रमाण पत्र दिया था। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि बाद में छात्रों के कम नामांकन को देखते हुए, उक्त स्कूल वर्ष 2013–14 में कहीं भी आगे नहीं चला।इस प्रकार, न तो संबंधित शैक्षणिक संस्थान फर्जी और गैर–मान्यता प्राप्त पाया गया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और न ही याचिकाकर्ता की कक्षा 10 वीं की अंकतालिका झूठी और मनगढ़ंत पाई गई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक पी/19 और पी/20 के प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के प्रशिक्षण में भी भाग लिया है।इस प्रकार, उपरोक्त के तहत आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है और याचिकाकर्ता को मौद्रिक लाभों सहित सभी परिणामी लाभों के साथ पुनर्स्थापना किया जाना चाहिए।

04. दूसरी ओर, राज्य/उत्तरवादी सं 1 से 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चयन समिति द्वारा दस्तावेजों की जाँच के दौरान, याचिकाकर्ता को उत्तरवादी संख्या 8 से अधिक योग्य पाया गया था, तथापि, याचिकाकर्ता के प्रमाण–पत्र के साथ एक नोट संलग्न किया गया था कि उसके द्वारा प्रस्तुत अंकपत्र का सत्यापन आवश्यक है और इसलिए उत्तरवादी संख्या 8 को योग्यता सूची में क्रम संख्या 2 पर रखा गया था।चूँकि याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत अभिलेखों ने उत्तरवादी संख्या 8 के मन में संदेह उत्पन्न किया, इसलिए उसने याचिकाकर्ता की नियुक्ति को चुनौती देते हुए कलेक्टर, सरगुजा के समक्ष अपील दायर की।कलेक्टर ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की जांच करने और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद पाया कि याचिकाकर्ता की अंकसूची जाली और मनगढ़ंत है और इसलिए, दिनांक 17.12.2014 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की नियुक्ति रद्द करने और उत्तरवादी संख्या 8 की नियुक्ति के लिए आदेश जारी करने का निर्देश दिया।बाद में, याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील में आयुक्त, सरगुजा द्वारा इस आदेश की पुष्टि की गई।ये दोनों आदेश पूरी तरह से विधि के अनुरूप हैं।याचिकाकर्ता इसमें कोई भी अवैधता या त्रुटि दर्शाने में बुरी तरह विफल रहा है जिसके लिए इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप करना आवश्यक हो, खासकर तब जब गाँव के सरपंच ने प्रमाणित किया है कि जिस स्कूल से याचिकाकर्ता ने अपनी 10 वीं बोर्ड परीक्षा पूरी की है, वह संबंधित ग्राम पंचायत में मौजूद नहीं है।वर्तमान याचिका में कोई सार नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

05. उत्तरवादी संख्या 7 ने याचिका के अपने उत्तर में प्रस्तुत किया कि कलेक्टर और आयुक्त द्वारा पारित आदेश कानून के अनुसार हैं और पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत पारित किए गए हैं। इसके मात्र अवलोकन से पता चलता है कि आदेश रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का उचित मूल्यांकन करने के बाद पारित किए गए हैं।गाँव के सरपंच ने प्रमाणित किया कि जिस स्कूल से याचिकाकर्ता ने अपनी दसवीं बोर्ड परीक्षा पूरी करने का दावा किया है, वह ग्राम पंचायत में मौजूद नहीं है, जैसा कि अनुलग्नक आर/7–2 में दर्शाया गया है।जहाँ तक याचिकाकर्ता के इस तर्क का प्रश्न है कि समान अनुतोष के लिए उन्हीं पक्षों के बीच द्वितीय अपील, जो कि पूर्व–न्यायिकता के सिद्धांत से प्रभावित है, पोषणीय नहीं है, यह स्थापित विधि है कि अभियोजन के अभाव में किसी याचिका को खारिज करने से पक्षों के अधिकारों का न्यायनिर्णयन नहीं होगा और इसलिए, प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा दायर द्वितीय अपील पूर्णतः पोषणीय है .आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि या अवैधता नहीं है और इस प्रकार, वर्तमान याचिका, किसी भी सार से रहित होने के कारण, खारिज किए जाने योग्य है।

06. अपने प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति पाने के लिए कोई जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।उसने वर्ष 2005 में कक्षा 10 वीं की परीक्षा कम अंकों (तृतीय श्रेणी) से उत्तीर्ण की थी और अपनी श्रेणी में सुधार के लिए उसने वर्ष 2008 में मनीषा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, सिलफिली से हायर सेकेंडरी की परीक्षा पूरी की, जो अनुलग्नक पी/3 और पी/4 के अनुसार उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली से संबद्ध था और अच्छे अंक प्राप्त किए और इसलिए, उसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए चुना गया।जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 14.5.2013 की जाँच रिपोर्ट (अनुलग्नक पी/16) के अनुसार, उक्त स्कूल कार्यरत था और झूठे प्रमाण पत्र के संबंध में याचिकाकर्ता के विरुद्ध परिवाद फर्जी है।इसके अलावा, ग्राम पंचायत–सिलफिली के सरपंच ने 20.2.2016 को एक प्रमाण पत्र जारी किया (अनुलग्नक पी/21) जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उक्त विद्यालय उनके गांव में चल रहा था।आक्षेपित आदेश अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का उचित मूल्यांकन किए बिना अनुचित और मनमाने तरीके से पारित किया गया है, इसलिए इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

07. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

08. इस मामले में यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता को 22.12.2009 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था और उसने 23.12.2009 को अपनी सेवाएं शुरू कीं।उत्तरवादी क्रमांक 8 ने कलेक्टर, सरगुजा के समक्ष याचिकाकर्ता की नियुक्ति को चुनौती देते हुए अपील दायर की, जिसे अभियोजन के अभाव में 25.10.2010 को खारिज कर दिया गया और उसके बाद, उसने कलेक्टर के समक्ष एक नई अपील दायर की।29.4.2013 को उत्तरवादी क्रमांक 4/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, सूरजपुर ने याचिकाकर्ता की अंकतालिकाओं के सत्यापन के लिए नोटिस जारी किया और उत्तरवादी क्रमांक 4 ने याचिकाकर्ता की अंकतालिकाओं के संबंध में सत्यापन रिपोर्ट दी।कलेक्टर, सूरजपुर ने दिनांक 17.12.2014 के आदेश द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 8 की अपील को स्वीकार कर लिया और याचिकाकर्ता की नियुक्ति आदेश को रद्द कर दिया।इस आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 2/आयुक्त के समक्ष अपील दायर की और आयुक्त ने दिनांक 29.9.2015 के आक्षेपित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया।

09. दिनांक 14.5.2013 के नोटिस (अनुलग्नक पी/16) से स्पष्ट है कि उत्तरवादी क्रमांक 4/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, सूरजपुर ने उत्तरवादी क्रमांक 8 को याचिकाकर्ता के विरुद्ध उसकी परिवाद पर जानकारी प्रदान की।इस नोटिस का प्रभावी कंडिका इस प्रकार है:

"माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर से मान्यता/समकक्षता का पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही आंगनबाडी केन्द्र श्यामनगर में आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर श्रीमती सीमा का नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। आंगनबाडी केन्द्र खरकापारा में अनियमित नियुक्ति के संबध में आपके द्वारा कलेक्टर न्यायालय (अम्बिकापुर) सरगुजा में याचिका क्रमांक/19/बी–121–2009–10 दायर किया गया है। उक्त याचिका अदम पैरवी में न्यायालय द्वारा

खारिज किया गया है। तत्कालीन समय में संस्था द्वारा जारी अंकसूची मान्यता प्राप्त थी। अतः आपके द्वारा की गई शिकायत सही नहीं है। प्रस्तुत शिकायत के संबंध कृत कार्यवाही सूचनार्थ।"

दिनांक 17.12.2014 के आदेश (अनुलग्नक पी/17) के अवलोकन से यह पाया गया है कि कलेक्टर, सरगुजा ने प्रतिवादी संख्या 8 की अपील इस आधार पर स्वीकार की कि याचिकाकर्ता की कक्षा 10 की अंकतालिका आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद जमा की गई थी। आवेदन 24.5.2008 से 8.6.2008 तक आमंत्रित किए गए थे और याचिकाकर्ता ने अपना आवेदन 26.5.2008 को जमा किया, जबकि उसकी अंकतालिका में अंकतालिका जारी करने की तिथि 19.6.2008 अंकित है। इस आदेश के प्रभावी अनुच्छेद इस प्रकार हैं:---

"... आवेदन दिनांक 24.5.2226 से 8.6.2008 तक आमंत्रित किये गये थे। उत्तरवादी क्रमांक । सीमा द्वारा प्रस्तुत अंक सूची में अंक सूची जारी किये जाने का दिनांक 19.6.2008 अंकित है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि मनीषा पब्लिक हायर सेकेन्ड्री स्कूल के नाम पर सिलफिली में कोई संस्था जब संचालित ही नहीं है तो कैसे उत्तरवादी क्रमांक । द्वारा पब्लिक हायर सेकेन्ड्री स्कूल का अंक सूची प्रस्तुत किया गया है इससे स्पष्ट है कि उत्तरवादी कमांक 1 द्वारा फर्जी अंक सूची तैयार कराकर संलग्न किया गया है। साथ ही रोजगार पंजीयन के अनुसार उत्तरवादी क्रमांक 1 जब वर्ष 2005 में ही कक्षा 10 वी उत्तीण यी तो फिर उसे पुनः कक्षा 10 वीं वर्ष 2008 में क्यों उत्त्रीण करना पड़ा इससे इस संदेह को बल मिलता है की फर्जी अंकसूची तैयार की गयी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु परियोजना कार्यालय द्वारा दिनांक 24.5.2226 से 8.6.2008 का समय निर्धारित किया गया था। उत्तरवादी क्रमांक द्वारा दिनांक 26.5.08 को आवेदन कार्यालय में जमा किया गया है। उत्तरवादी कमांक । द्वारा प्रस्तुत अंकसूची में, अंकसूची जारी किये जाने का दिनांक 19.6.2008 अंकित है। इससे स्पष्ट है कि आवेदन प्राप्त करने की नियत लिथि समाप्त होने पश्चात उत्तरवादी को अंकसूची प्राप्त हुआ है। उत्तरवादी कमांक । द्वारा अंकसूची प्राप्त होने की तिथि से पूर्व ही आवेदन पत्र के साथ अंक 11 सूची संलग्न किया जाना संदेह को जब्म देता है जिससे उत्तरवादी क्रमांक । द्वारा प्रस्तुत अंकसूची को सही नहीं माना जा सकता है। प्रकरण में आये उपरोक्त तथ्यों के सूक्ष्म अवलोकन पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि उत्तरवादी क्रमांक 1 सीमा यादव द्वारा कक्षा 10 वीं की फर्जी अंकसूची प्रस्तुत किया गया है। तत्कालीन समय में उक्त अंकसूची का बगैर जांच किये ही उत्तरवादी कमांक । की नियुक्ति आगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर आलोच्य आदेश के माध्यम से किया गया है जो विधियों के अनुकूल नहीं है। आंगनबाड़ी केन्द्र श्यामनगर खरखापारा हेतु आंगनगाड़ी कार्यकर्ता हेतु दो आवेदिका थी, अपीलार्थी एंव उत्तरवादी कमांक 1 के आवेदन पर विचार किया गया है। चूंकि उत्तरवादी क्रमांक । सीमा यादव द्वारा प्रस्तुत कक्षा 10 वीं की अंक सूची फर्जी पाया गयी है जिससे उत्तरवादी क्रमांक 1, नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवार नहीं थी, अतः आलोच्य आदेश कमांक 226/म०बा०वि०/2009-2010 प्रतापपुर दिनांक 22.12.2009 जिसके द्वारा 3 अन्य केन्द्रों के साथ श्यामनगर खरखापारा केन्द्र में कार्यकर्ता के पद पर उत्तरवादी कमांक 1 की नियुक्ति की गयी है उत्तरवादी कमांक 1 सीमा यादव के परिप्रेक्ष्य में आंशिक रूप से निरस्त किया जाता है एंव परियोजना अधिकारी महिला एंव

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बाल विकास परियोजना प्रतापपुर को आदेशित किया जाता है कि उत्तरवादी कमांक । सीमा यादव को आंगनबाड़ी केन्द्र श्यामनगर खरखापारा के कार्यकर्ता पद से पृथक करते हुए अपीलार्थी परमेश्वरी राजवाड़े की नियुक्ति आंगनबाड़ी केन्द्र श्यामनगर खरखापारा में करने की कार्यवाही करें। अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।"

10. उत्तरवादी क्रमांक 7/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, प्रतापपुर ने अनुलग्नक आर/7–1 और आर/7–2 के दस्तावेज दाखिल किए।अनुलग्नक आर/7–2 ग्राम पंचायत, सिलफिली, जनपद पंचायत–सूरजपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र है।इस प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत सिलफिली में मनीषा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल जैसी कोई संस्था संचालित नहीं है।इस न्यायालय ने 17.12.2024 को राज्य के वकील को निर्देश दिया कि वे जिला शिक्षा अधिकारी, सूरजपुर का हलफनामा दाखिल करें जिसमें मनीषा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, सिलफिली, सूरजपुर नामक स्कूल के पंजीकरण का विवरण हो ताकि इस तथ्य से अवगत कराया जा सके कि उक्त स्कूल उस समय वहां संचालित था या नहीं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। इस आदेश के अनुपालन में, जिला शिक्षा अधिकारी, सूरजपुर ने अपना हलफनामा दाखिल किया जिसमें कहा गया है कि खंड शिक्षा अधिकारी, सूरजपुर ने पत्र दिनांक 24.2.2025 (अनुलग्नक 'ए') के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित किया कि मनीषा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, सिलफिली 2006 से 2012 तक संचालित था और वर्तमान में यह संचालित नहीं है।पत्र दिनांक 24.2.2025 (अनुलग्नक 'ए') इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सूरजपुर (छ०ग०)

क्रमांक/1473/स्था./2024–25 **सूरजपुर, दिनाँक 24–02–2025**

प्रति.

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–सूरजपुर छ.ग.

विषयः– मनीषा पब्लिक हायर सेकेण्डरी स्कूल सिलफिली के मान्यता के संबंध में। संदर्भ:– आपका क्रमांक/2447/मान्यता/2024–25/सूरजपुर दिनांक 21.02.2025

उपरोक्त संदर्मित विषयान्तर्गत लेख है, कि मनीषा पब्लिक हायर सेकेण्डरी विद्यालय सिलफिली विकासखण्ड सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ०ग०) के नाम से सत्र 2006 से 2012 तक संचालित था। जो वर्तमान समय में संचालित नहीं है। अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
विकासखण्ड सूरजपुर
जिला सूरजपुर (छ०ग०)

11. इस प्रकार याचिकाकर्ता की कक्षा 10 वीं की –अंकसूची से यह स्पष्ट है कि यह 19.6.2008 को जारी की गई थी और जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, सूरजपुर के दिनांक 14.5.2013 (अनुलग्नक पी/16) के प्रतिवेदन के अनुसार यह भी स्पष्ट है कि उस समय मनीषा पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय द्वारा जारी मार्कशीट को मान्यता प्राप्त थी।खण्ड विकास शिक्षा अधिकारी, सूरजपुर ने यह भी बताया कि मनीषा पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिलफिली 2006 से 2012 तक संचालित था।हालाँकि, कलेक्टर ने इन सभी तथ्यों को नहीं समझा और केवल इस आधार पर कि याचिकाकर्ता ने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद कक्षा 10 वीं की मार्कशीट प्रस्तुत की, उसकी नियुक्ति रद्द कर दी।आयुक्त ने याचिकाकर्ता की अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि संबंधित समय में सिलफिली में मनीषा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित नहीं था।दोनों अधिकारियों को स्कूल शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों से उपरोक्त तथ्यों के बारे में पूछताछ करनी चाहिए थी, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया।

12. उपरोक्त चर्चाओं के आधार पर, जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिवेदन और खंड विकास शिक्षा अधिकारी के पत्र दिनांक 24.2.2025 को देखते हुए, दिनांक 29.9.2015 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/1) धारणीय नहीं है।तदनुसार, दिनांक 29.9.2015 का आदेश और दिनांक 17.12.2014 का आदेश एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।उत्तरवादी क्रमांक 3/कलेक्टर, सूरजपुर को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को 50% बकाया वेतन और सभी परिणामी लाभों के साथ उसके पद पर पुनर्स्थापित करें।उत्तरवादी प्राधिकारियों को इस आदेश के पारित होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर इस आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया जाता है।

13. उपरोक्त निर्देशों के साथ, रिट याचिका को स्वीकृति दी जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश